कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

"सी–ब्लॉक, तृतीय तल,

इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

फोन नं. 0771-2582799, 2582088, E-mail : atc.cg@gov.in

//आदेश//

क्रमांक/ 108 /तक./टीसी/2020 नवा रायपुर दिनांक 25/06/2020

"कोरोना वायरस" (COVID-19) महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। आम जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर–जिला (एक जिलो से दूसरे जिला) आवागमन के लिये यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से राज्य में संचालन की अनुमति दी जाती है। यात्री बस के परिचालन हेतु निम्नानुसार **SOP** का पालन किया जाना है–

1. प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में दर्शित समय–चक्र एवं फेरे के अनुसार यात्री बसों के संचालन की अनुमति होगी।
2. प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर वाहन का ठहराव होगा।
3. यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना होगा।
4. परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते/बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
5. बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईड के जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है।
6. वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड–19 के संक्रमण हेतु बचाव हेतु समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे।
7. बस में यात्रा के दौरान सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग एवं कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे।
8. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
9. बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। यात्रीयों को यात्रा के दौरान ई–पास प्राप्त किये करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहें है, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध करायेंगे।
10. चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

KP

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/108-A/तक./टीसी/2020 नवां रायपुर, दिनांक 25/06/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. समस्त भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक रेंज।
6. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, छ.ग.।
7. समस्त नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त यात्री बस संचालक की ओर पालनार्थ।
11. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

KP

परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner